राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2 (क) (ओ—47) अलेसे—I / 766 दिनांकः— 31/01/2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 125 / 2015—16 दिनांक 06.05.2011 के द्वारा क्रम संख्या 22 पर अंकित श्री ओम प्रकाश गर्ग, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I (लिंक नं0 6892) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2016 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। श्री गर्ग के विरूद्ध एसीबी प्रकरण अपराध संख्या 06 / 2005 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण "जांच बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर ने श्री ओम प्रकाश गर्ग की दिनांक 27.03.2019 को मृत्यु हो जाने के कारण अपने निर्णय दिनांक 29.05.2019 के द्वारा कार्यवाही ड्रॉप कर विचाराधीन वाद को "दाखिल—दफ्तर" कर दिये जाने तथा श्री गर्ग के विरूद्ध अन्य कोई जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं होने के परिणामस्वरूप प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रकरण को समाप्त किया जाकर वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 12(6)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश गर्ग, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I के विरूद्ध आज तकः—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग के विरूद्ध ए.सी.बी. प्रकरण 06 / 2005 दर्ज होने के कारण श्री गर्ग को विभागीय आदेश क्रमांक 7561—7570 दिनांक 19.01.2005 के द्वारा निलम्बित किया जाकर आदेश क्रमांक 2841—48 दिनांक 29.06.2010 से बहाल करते हुए उपकोषाधिकारी, पचपहाड़ (झालावाड़) में पदस्थापन किया गया था। अतः उपरोक्त प्रकरण में श्री गर्ग की मृत्यु होने के कारण तथा न्यायिक प्रकरण "दाखिल—दफ्तर" होने के फलस्वरूप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए श्री गर्ग को देय शेष वित्तीय परिलाभों एवं पेंशन परिलाभों के निस्तारण हेतु यह आदेश जारी किये जाते है किः—

I. श्री गर्ग को निलम्बन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे तथा
II. अन्य समस्त पेंशन योग्य देय परिलाभों के लिए उक्त निलम्बन अवधि को नियमित करते हुए पेंशन के प्रयोजनार्थ गिना जायेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः— एफ.2 (क) (ओ—47) अलेसे—I / 766 दिनांकः— 31/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपमहानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा।
6. कोषाधिकारी, झालावाड़।
7. उपकोषाधिकारी, पचपहाड़ (झालावाड़)।
8. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सोसायटी (आई.पी.डी.) परियोजना, सवाईमाधोपुर।
9. उपनिदेशक / उपविधि परामर्शी को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 3237 दिनांक 08.11.2017 (एस.बी.सी. रिट याचिका संख्या 11814 / 2014 श्री ओम प्रकाश गर्ग बनाम राजस्थान राज्य) के संदर्भ में।
10. श्री धर्मेन्द्र गर्ग पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश गर्ग, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, शहर सवाईमाधोपुर (राजस्थान)। पिन—322021
11. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
13. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / एसीआर शाखा / डीपीसी शाखा / निजी पत्रावली / गार्ड फाइल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)